न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली
पीठासीन अधिकारी : बृजमोहन नोगिया, आर.ए.एस.

अपील संख्या : 17/2016(प्राथमिक डिक्री)

अपीलांट

1. मनोहरसिंह पुत्र श्री इन्द्रसिंह जी, जाति राजपूत, उम्र 45 वर्ष, निवासी आलावा,तहसील आहोर, जिला जालोर।

बनाम

रेस्पोडेन्टस्

1. सोहनसिंह पुत्र श्री लादीया, जाति दरोगा(रोवणा राजपूत), निवासी पावटा, तहसील आहोर, जिला जालोर।
2. नरेन्द्रसिंह पुत्र श्री इन्द्रसिंहजी
3. राजेन्द्रसिंह पुत्र श्री इन्द्रसिंहजी
4. सूर्यपालसिंह पुत्र श्री इन्द्रसिंहजी
5. कैलाश कंवर पुत्री श्री इन्द्रसिंहजी
6. जनक कंवर पुत्री श्री इन्द्रसिंहजी
7. अशोक कंवर पुत्री श्री इन्द्रसिंहजी
8. जतनकंवर पत्नी श्री इन्द्रसिंहजी
9. गोपालसिंह पुत्र श्री मदनसिंहजी
10. गजेन्द्रसिंह पुत्र श्री कानसिंहजी
11. कानसिंह पुत्र श्री मदनसिंहजी
12. प्रकाश कंवर पुत्री श्री मदनसिंहजी
13. ओमकंवर पुत्री श्री मदनसिंहजी
14. मरूधर कंवर पुत्री श्री मदनसिंहजी
15. प्रकाश कंवर पत्नी श्री मदनसिंहजी
16. मानसिंहजी पुत्र श्री दलपतसिंहजी
17. दरियाकंवर पुत्री श्री दलपतसिंहजी
18. पुष्पाकंवर पुत्री श्री दलपतसिंहजी
19. पवनकंवर उर्फ अनेक कंवर पुत्री श्री दलपतसिंहजी तमाम जातिगण राजपूत निवासीगण आलावा, तहसील आहोर, जिला जालोर।
20. राजेन्द्रसिंह पुत्र श्री जोरावरसिंहजी, जाति राजपूत, निवासी पावटा, तहसील आहोर, जिला जालोर
21. श्रीमति मदनकुंवर पुत्री श्री पीरसिंहजी, जाति राजपूत, निवासी पावटा, तहसील आहोर, जिला जालोर
22. गोमा वल्द भारतींगा (फौत), जाति राजपूत, निवासी पावटा, तहसील आहोर, जिला जालोर
23. आनंदसिंह पुत्र श्री पीरसिंहजी, जाति राजपूत, निवासी पावटा, तहसील आहोर, जिला जालोर
24. मु. कंचनकुंवर जोजे हरिसिंहजी, जाति राजपूत, निवासी पावटा, तहसील आहोर, जिला जालोर
25. मानसिंह पुत्र श्री दलपतसिंहजी, जाति राजपूत निवासी आलावा, तहसील आहोर, जिला जालोर

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली कैम्प-जालोर

26. मनोहरसिंह पुत्र श्री सबलसिंहजी, जाति राजपूत निवासी भदरू, तहसील रामसर, जिला बाडमेर
27. मनोहरसिंह पुत्र श्री सबलसिंहजी, जाति राजपूत निवासी भदरू, तहसील
28. वनेसिंह पुत्र श्री अमरसिंहजी, जाति राजपूत, निवासी भदरू, तहसील रामसर, जिला बाडमेर
29. प्रेमसिंह पुत्र श्री सबलसिंहजी, जाति राजपूत, निवासी भदरू, तहसील रामसर, जिला जालोर
30. मांगू वल्द सकीया जाति रावणा राजपूत, निवासी आलावा, तहसील आहोर, जिला जालोर।
31. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार आहोर, जिला जालोर।

राजस्व अपील प्राधिकारी पाली कैम्प-जालोर

अपील संख्या : 11/2018(अन्तरिम डिक्री)

अपीलांट

मनोहरसिंह पुत्र श्री इन्द्रसिंह जी, जाति राजपूत, उम्र 45 वर्ष, निवासी आलावा,तहसील आहोर, जिला जालोर।

बनाम

रेस्पोडेन्टस्

1. सोहनसिंह पुत्र श्री लादीया, जाति दरोगा(रावणा राजपूत), निवासी पावटा, तहसील आहोर, जिला जालोर।
2. नरेन्द्रसिंह पुत्र श्री इन्द्रसिंहजी
3. राजेन्द्रसिंह पुत्र श्री इन्द्रसिंहजी
4. सूर्यपालसिंह पुत्र श्री इन्द्रसिंहजी
5. कैलाश कंवर पुत्री श्री इन्द्रसिंहजी
6. जनक कंवर पुत्री श्री इन्द्रसिंहजी
7. अशोक कंवर पुत्री श्री इन्द्रसिंहजी
8. जतनकंवर पत्नी श्री इन्द्रसिंहजी
9. गोपालसिंह पुत्र श्री मदनसिंहजी
10. गजेन्द्रसिंह पुत्र श्री कानसिंहजी
11. कानसिंह पुत्र श्री मदनसिंहजी
12. प्रकाश कंवर पुत्री श्री मदनसिंहजी
13. ओमकंवर पुत्री श्री मदनसिंहजी
14. मरूधर कंवर पुत्री श्री मदनसिंहजी
15. प्रकाश कंवर पत्नी श्री मदनसिंहजी
16. मानसिंहजी पुत्र श्री दलपतसिंहजी
17. दरियाकंवर पुत्री श्री दलपतसिंहजी
18. पुष्पाकंवर पुत्री श्री दलपतसिंहजी
19. पवनकंवर उर्फ अनेक कंवर पुत्री श्री दलपतसिंहजी तमाम जातिगण राजपूत निवासीगण आलावा, तहसील आहोर, जिला जालोर।

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली कैम्प-जालोर

20. राजेन्द्रसिंह पुत्र श्री जोरावरसिंहजी, जाति राजपूत, निवासी पावटा, तहसील आहोर, जिला जालोर
21. श्रीमति मदनकुंवर पुत्री श्री पीरसिंहजी, जाति राजपूत, निवासी पावटा, तहसील आहोर, जिला जालोर
22. गोमा वल्द भारतींगा (फौत), जाति राजपूत, निवासी पावटा, तहसील आहोर, जिला जालोर
23. आनंदसिंह पुत्र श्री पीरसिंहजी, जाति राजपूत, निवासी पावटा, तहसील आहोर, जिला जालोर
24. मु. कंचनकुंवर जोजे हरिसिंहजी, जाति राजपूत, निवासी पावटा, तहसील आहोर, जिला जालोर
25. मानसिंह पुत्र श्री दलपतसिंहजी, जाति राजपूत निवासी आलावा, तहसील आहोर, जिला जालोर
26. मनोहरसिंह पुत्र श्री सबलसिंहजी, जाति राजपूत निवासी भदरू, तहसील रामसर, जिला बाडमेर
27. मनोहरसिंह पुत्र श्री सबलसिंहजी, जाति राजपूत निवासी भदरू, तहसील
28. वनेसिंह पुत्र श्री अमरसिंहजी, जाति राजपूत, निवासी भदरू, तहसील रामसर, जिला बाडमेर
29. प्रेमसिंह पुत्र श्री सबलसिंहजी, जाति राजपूत, निवासी भदरू, तहसील रामसर, जिला जालोर
30. मांगू वल्द सकीया जाति रावणा राजपूत, निवासी आलावा, तहसील आहोर, जिला जालोर।
31. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार आहोर, जिला जालोर।

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थित :–

1. श्री पारसमल बराडा विद्वान अभिभाषक अपीलाण्ट
2. श्री ललित खत्री, विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेन्ट संख्या 01
3. शेष रेस्पोडेन्टगण बावजूद सूचना अनुपस्थित।
4. राजकीय अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट संख्या 31 की ओर से

–: निर्णय :–

दिनांक : 20/02/2020

अपीलाण्ट्स की ओर से यह अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत विरूद्ध रेस्पोडेन्ट्स के प्रस्तुत कर सहायक कलक्टर आहोर द्वारा राजस्व मूल वाद संख्या 16/2013 बउनवान सोहनसिंह बनाम मनोहरसिंह वगैरह में पारित प्राथमिक निर्णय व डिक्री दिनांक 22.12.2016 व अंतिम निर्णय व डिक्री दिनांक 28.02.2018 को अपास्त कराने का निवेदन किया। बाद जांच अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्ट्स को जरिये सम्मन

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली केम्प-जालोर

तलब किया तथा अधीनस्थ न्यायालय का रेकर्ड तलब किया तथा उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस सुनी गई। रेस्पोडेन्ट संख्या 02 से 30 बावजूद सूचना अनुपस्थित। अत उक्त पक्षकारान के विरूद्ध गुणवागुण पर निर्णय पारित किया जाता है।

विद्धान अभिभाषक अपीलाण्ट ने अपनी बहस में कथन किया कि रेस्पोडेन्ट संख्या 01 ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष एक वाद अन्तर्गत धारा 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत वादग्रस्त आराजी ग्राम मादडी, पटवार क्षेत्र दयालपुरा, भू–अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र गुडाबालोतान, तहसील आहोर, जिला जालोर के खसरा नंबर 16 रकबा 93.08 हैक्टर किस्म नहरी प्रथम व खसरा नंबर 17 रकबा 0.15 हैक्टर किस्म नहरी प्रथम कुल खसरा नंबर 02 कुल रकबा 93.23 हैक्टर के संबध में प्रस्तुत कर बंटवाडा कराने व खातेदारी धोषित कराने का अनुतोष चाहा, जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जैर अपील निर्णय व डिक्री पारित की गई है। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष रेस्पोडेन्ट संख्या 01 द्वारा प्रस्तुत वाद के अन्तर्गत दिनांक 22.05.2013 तक प्रतिवादीगणो को किसी भी रूप में नोटिस जारी नहीं किये गये एवं न ही तामिल करवाये गये। उसके पश्चात दिनांक 10.02.2015 को बिना किसी न्यायालय का आदेश पारित करवाये रेस्पोडेन्ट संख्या 01 ने अपीलांट व अन्य पक्षकारो के नोटिस अखबार में प्रकाशित करवाये, जबकि न्यायालय की आदेशिका में किसी भी रूप में प्रतिवादीगणो को नोटिस को जरिये रजिस्टर्ड डाक से जारी करने के पूर्व में कोई आदेश नहीं हुये। सी.पी.सी के नियमो की पालना किये बिना ही उक्त प्रकरण में प्रतिवादीगण के नोटिस अखबार में प्रकाशित करने का आदेश पारित किया है। इसके अतिरिक्त न्यायालय के आदेशानुसार जो नोटिस अखबार में प्रकाशित करवाया, जो जालोर राजस्थान पत्रिका मे प्रकाशित करवाया है, जबकि प्रकरण में कई पक्षकार बाडमेर जिले के निवासी है, जहां जालोर राजस्थान पत्रिका का प्रकाशन नहीं होता है। इसके अतिरिक्त तहसीलदार द्वारा अपीलांट को बिना सूचना दिये बिना मौके देखे एकपक्षीय मौका फर्द बनाई, जिसके आधार पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जैर अपील निर्णय व डिक्री पारित की गई है। इसके अतिरिक्त रेस्पोडेन्ट संख्या 22 गोमा वल्द भारतिंगा का देहान्त कई वर्ष पूर्व हो चुका है, किन्तु न्यायालय द्वारा मृतक के वारिसानो को रेकर्ड पर नहीं लिया गया एवं न ही रेकर्ड पर लिये जाने का कोई प्रार्थना पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया। गोमा वल्द भारतिंगा के मृतक होने की सूचना एवं लिखित में पक्षकार बनाने के बावजूद अधीनस्थ न्यायालय द्वारा मृतक व्यक्ति के विरूद्ध जैर अपील निर्णय व डिक्री पारित की गई है। जो कि नलिटी की श्रेणी में आती है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा बिना अपीलांट को सुनवाई का अवसर दिये सी.पी.सी के प्रावधानो का उल्लघंन करते हुए जैर अपील निर्णय व डिक्री पारित की गई है। जो कि विधिसम्मत नहीं है। अत अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर जैर अपील निर्णय व डिक्री अपास्त फरमाते हुए पत्रावली रिमांड फरमाई जावे।

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली केम्प-जालोर

विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेन्ट्स ने अपनी बहस करते हुए निवेदन किया कि रेस्पोडेन्ट संख्या 01 ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष एक वाद अन्तर्गत धारा 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत वादग्रस्त आराजी ग्राम मादडी, पटवार क्षेत्र दयालपुरा, भू–अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र गुडाबालोतान, तहसील आहोर, जिला जालोर के खसरा नंबर 16 रकबा 93.08 हैक्टर किस्म नहरी प्रथम व खसरा नंबर 17 रकबा 0.15 हैक्टर किस्म नहरी प्रथम कुल खसरा नंबर 02 कुल रकबा 93.23 हैक्टर के संबध में प्रस्तुत कर बंटवाडा कराने व खातेदारी धोषित कराने का अनुतोष चाहा, जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जैर अपील निर्णय व डिक्री पारित की गई है। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष रेस्पोडेन्ट संख्या 01 द्वारा प्रस्तुत वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगणो को नोटिस जारी किये गये। उसके पश्चात दिनांक 19.06.2013 को प्रतिवादी संख्या 16, 25 व 30 के नोटिस तामिल होने के बावजूद उक्त पक्षकारान उपस्थित नहीं आने पर उक्त पक्षकारान के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही किये जाने का आदेश पारित किया जाकर आगामी पेशी 26.07.2013 नियत की गई। उसके पश्चात पत्रावली दिनांक 08.12.2014 तक निरन्तर तलबी हेतु नियत रही। इसके पश्चात दिनांक 08.12.2014 को रेस्पोडेन्ट द्वारा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर शेष रेस्पोडेन्ट के सम्मन पर बाहर गये होने की सूचना प्राप्त होने के कारण उक्त पक्षकारान की तलबी जरिये अखबार प्रकाशन कराने का निवेदन किया, जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 08.12.2014 को रेस्पोडेन्ट संख्या 01 द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर शेष प्रतिवादीगण की तलबी हेतु सम्मन का प्रकाशन दैनिक समाचार में करवाये जाने का आदेश पारित किया, जिसकी पालना में उक्त समस्त पक्षकारान के सम्मन राजस्थान पत्रिका दैनिक समाचार पत्र मे साया करवाकर उक्त अखबार की प्रति दिनांक 26.03.2015 अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की, उसके पश्चात अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त पक्षकारान के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाये जाने का आदेश पारित किया गया। उसके पश्चात पत्रावली में वादी/रेस्पोडेन्ट संख्या 01 की ओर से साक्ष्य शपथ प्रस्तुत किये गये एवं दिनांक 18.09.2015 को सोहनसिंह व उदाराम के बयान कलमबद्ध किये गये। उसके पश्चात दिनांक 22.12.2015 को प्रकरण में प्राथमिक डिक्री जारी करने का आदेश पारित कर तहसीलदार आहोर को विभाजन प्रस्ताव तैयार किये जाने का आदेश पारित किया, जिसकी पालना में तहसीलदार आहोर द्वारा पत्रांक/137 दिनांक 09.01.2018 के जरिये विभाजन प्रस्ताव तैयार कर अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया। उक्त विभाजन प्रस्ताव के आधार पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अंतिम निर्णय व डिक्री पारित की गई। जहां तक विभाजन प्रस्ताव के समय अपीलांट को सूचना का प्रश्न है तो अपीलांट व शेष रेस्पोडेन्ट को अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष विधि की पूर्णतया पालना करते हुए सम्मन भिजवाये गये, किन्तु वह उसके बावजूद उपस्थित नहीं आने पर उक्त पक्षकारान के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाये जाने का आदेश पारित किया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा सी.पी.सी की पूर्णतया पालना करते हुये राजस्व मंडल के नियम 18 से 21 की विधिवत पालना करते हुये जैर अपील निर्णय व

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली कैम्प-जालोर

डिक्री पारित की गई है। जो कि पूर्णतया विधिसम्मत है। अत अपील अपीलांट खारिज फरमाई जावे।

उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया तथा अधीनस्थ न्यायालय के रेकर्ड का अवलोकन किया। रेस्पोडेन्ट संख्या 01 ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष एक वाद अन्तर्गत धारा 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत वादग्रस्त आराजी ग्राम मादडी, पटवार क्षेत्र दयालपुरा, भू–अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र गुडाबालोतान, तहसील आहोर, जिला जालोर के खसरा नंबर 16 रकबा 93.08 हैक्टर किस्म नहरी प्रथम व खसरा नंबर 17 रकबा 0.15 हैक्टर किस्म नहरी प्रथम कुल खसरा नंबर 02 कुल रकबा 93.23 हैक्टर के संबध में प्रस्तुत कर बंटवाडा कराने व खातेदारी धोषित कराने का अनुतोष चाहा, जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जैर अपील निर्णय व डिक्री पारित की गई है। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष रेस्पोडेन्ट संख्या 01 द्वारा प्रस्तुत वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगणो को नोटिस जारी किये गये। उसके पश्चात दिनांक 19.06.2013 को प्रतिवादी संख्या 16, 25 व 30 के नोटिस तामिल होने के बावजूद उक्त पक्षकारान उपस्थित नहीं आने पर उक्त पक्षकारान के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही किये जाने का आदेश पारित किया जाकर आगामी पेशी 26.07.2013 नियत की गई। उसके पश्चात पत्रावली दिनांक 08.12.2014 तक निरन्तर तलबी हेतु नियत रही। इसके पश्चात दिनांक 08.12.2014 को रेस्पोडेन्ट द्वारा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर शेष रेस्पोडेन्ट के सम्मन पर बाहर गये होने की सूचना प्राप्त होने के कारण उक्त पक्षकारान की तलबी जरिये अखबार प्रकाशन कराने का निवेदन किया, जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 08.12.2014 को रेस्पोडेन्ट संख्या 01 द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर शेष प्रतिवादीगण की तलबी हेतु सम्मन का प्रकाशन दैनिक समाचार में करवाये जाने का आदेश पारित किया, जिसकी पालना में उक्त समस्त पक्षकारान के सम्मन राजस्थान पत्रिका दैनिक समाचार पत्र मे साया करवाकर उक्त अखबार की प्रति दिनांक 26.03.2015 अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की, उसके पश्चात अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त पक्षकारान के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाये जाने का आदेश पारित किया गया। सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 के प्रावधान अनुसार सर्वप्रथम वाद दर्ज कर पक्षकारान को साधारण सम्मन जारी किये जाने का प्रावधान है उसके पश्चात तामिल न होने की स्थिति में डाक द्वारा रजिस्टर्ड सम्मन भेजे जाने का प्रावधान है, उसके पश्चात उक्त दोनो माध्यम से तामिल नहीं होने की स्थिति में प्रतिस्थापित तामिल यानि अखबार में साया कराने का सहारा लिया जा सकता है, किन्तु हस्तगत प्रकरण के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रतिवादीगणो को साधारण सम्मन भेजे गये, जिस पर प्रतिवदीगणो के बाहर गये होने की सूचना प्राप्त होने के पश्चात उक्त पक्षकारान को रजिस्टर्ड डाक से सम्मन न भिजवाया जाकर सीधे ही उक्त पक्षकारान के सम्मन अखबार में साया किये जाने का आदेश पारित किया है जो कि सिविल प्रक्रिया संहित 1908 के

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली कैम्प-जालोर

प्रावधानो के पूर्णतया विपरित है। इसके अतिरिक्त अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष जो मौका रिपोर्ट तैयार की गई, उस पर केवल मात्र रेस्पोडेन्ट संख्या 01 के हस्ताक्षर है। उक्त मौका रिपोर्ट पर किसी के हस्ताक्षर नहीं है। जिससे यह स्पष्ट है कि उक्त मौका रिपोर्ट अपीलांट व शेष प्रतिवादीगणो की अनुपस्थिति में तैयार की गई, जिसके आधार पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जैर अपील निर्णय व डिक्री पारित की गई है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 के प्रावधानो के विपरित जाकर बिना अपीलांट व शेष रेस्पोडेन्टगण को सुनवाई का पूर्णतया अवसर दिये बिना एवं राजस्व मंडल के नियम 18 से 21 की पूर्णतया अवहेलना करते हुये जैर अपील निर्णय व डिक्री पारित की गई है। जो कि हाजा न्यायालय की राय में उचित प्रतीत नहीं होती है।

परिणाम स्वरूप अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत अपील आशिंक स्वीकार की जाती है। तथा सहायक कलक्टर आहोर द्वारा राजस्व मूल वाद संख्या 16/2013 बउनवान सोहनसिंह बनाम मनोहरसिंह वगैरह में पारित प्राथमिक निर्णय व डिक्री दिनांक 22.12.2016 व अंतिम निर्णय व डिक्री दिनांक 28.02.2018 अपास्त किया जाकर प्रकरण इस निर्देशो के साथ अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया जाता है कि राजस्व मंडल के नियम 18 से 21 की विधिवत पालना करते हुये अपीलांट को साक्ष्य, सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करते हुए सिविल प्रक्रिया संहिता 1908, रेवेन्यू कोर्ट मैन्यूअल एवं राजस्थान काश्तकारी अधिनियम में विहित प्रक्रिया की पालना करते हुए नये सिरे से विधि सम्मत निर्णय पारित करें। इस निर्णय की प्रमाणित प्रतिलिपी के साथ अधिनस्थ न्यायालय का रेकर्ड लौटाया जावे।

यह निर्णय आज दिनांक 20/02/2020 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(बृजमोहन नोगिया)
राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली
राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली कैम्प-जालोर